

**Speed post / तीव्र डाक**

भारतसरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खानब्यूरो  
क्षेत्रीय खाननियंत्रक कार्यालय  
माखुपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002  
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Violation letter / उल्लंघन पत्र**

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines.  
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

संख्या : RAJ/JPR-186/LST-04

दिनांक: 01/06/2022

प्रेषित : श्री शंकर लाल अग्रवाल,  
मेनेजिंग पार्टनर,  
मेसर्स नन्द लाल अग्रवाल एण्ड सन्स,  
230 - नेमीसागर कॉलोनी,  
वैशाली नगर, जयपुर - 302 021 (राज.)  
Email: [nla\\_ironore@yahoo.com](mailto:nla_ironore@yahoo.com), [nla@ironore.co.in](mailto:nla@ironore.co.in)

विषय: Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Pawana Limestone Mine in Jaipur district of Rajasthan State.


महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 19/04/2022 by undersign in presence of your Good-self:

Rule	Status and extent of violation
33	<b>Copies of plans and sections to be submitted.</b> — It is observed that a digital copy along with a print copy of the surface geological plans and sections maintained under rule 32 for the year 2020-21 has not been submitted to the Regional Controller of Mines, Ajmer as specified in mentioned rule.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय  
  
01/06/2022  
(दिलीप जैन)  
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो

**प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-**

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, कोटपुतली, (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी  
IBM, Ajmer